

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्युराम बनाम मदनलाल

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 37 / सन् 2018

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>
<p>वकील सा० उपस्थित। वकील सा० ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै०सा० अन्तर्गत धारा 2/2 RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै० सा० को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 2/3/18 को पेश हो। SDO</p>	<p>216 20/2/18</p>
<p>3/18 वसुलाउ उपर। उं गान नं० 01 ब०२ की मोट है वकील तुतरारास भापी ड पगडीश लेलमी है इल गड है वकालत गज केस किण्ड। आठ 500 नं० दीनल कान्च है वकालत रहने है पत्रावली आयन्दा दिनांक 7/5/18 को पेश हो।</p>	
<p>7/18 राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट आयोजित मुख्यालय जैतारण अदालत केन्द्र पर दिनांक 24/6/18 को पेश हो। SDO</p>	
<p>25/18 पत्रावली आठ राजस्व लोक अदालत अफालत हाजिर है जेश डर। वसुलाउ उपर। वसुलाउ को हुक गज। वकील उं गान के उपर किण्ड कि मयाल नु ज्ञाण्ड लीनल किण्ड पत्रा डे ली कोई आपति नही है। वकील लाल है उपर किण्ड कि वकील उं गान इल ज्ञाण्ड लीनल किण्ड पत्रा डे ली कोई आपति नही है। लाल नु ज्ञाण्ड भासिण्ड अडालत लीनल करणवे। वसुलाउ के आदेशानुसार हाजिर करवाये गये।</p>	<p>पत्रावली पत्र लीनल किण्ड गाने ली आपति नही है Jagdish 25/6 25/6/18</p>

पञ्जाबली मठ दल्लाबैजात मठ अबलोकन किण्ठगण्ड
 बाबुल बनील लाल के जफ्त के जाये किण्ठ है कि
 मोहन जैंगल के लाल मी जैडूठ पुरानी भूक्ति
 रक. नं. ५२ रकब ३६-०८ बीघा आसी है ई है
 जै. नं. १२१ उमर भूक्ति मठ किनी उमर के
 रकन बैंगल, बलीपन आदि नही करे एवं लाल
 के कबजे आश मी दिये मी भूक्ति के दरबलदाजी
 नही करे हेतु जरिअे आशई निजेदार के पाबल
 किने जाते मी दालदुम मी है।

अ. आशई निजेदार मठ लाल विदु
 के नं. इस आश मी जारी मी जारी है कि
 मोहन जैंगल के रक. नं. ५२ रकब ३६-०८ बीघा
 आसी के लाल के दिये मी भूक्ति के जै. नं.
 दरबलदाजी नही करे एवं किनी उमर के बैंगल
 रकन बनीपन आदि नही करे हेतु जै. नं. के
 जरिअे आशई निजेदार के मूल गड के निर्णय
 एक सके जाके पबन्ध किण्ठ जात है जगवली
 फौजल शुजात केनट नबबल के मठ है। गड वनील
 जावता मूल गड के लाल नली है।

580